न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 105/2020
3. उनवान : सरकार जरिये सुरेन्द्र सिंह राठौड, प्रवर्तन अधिकारी

बनाम

श्री श्याम बाबू पुत्र स्व. श्री रूपचन्द पटेल, निवासी 1680, ठठेरों की गली, चौडा रास्ता, जयपुर।
4. निर्णय दिनांक : 15.09.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

ब) अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड, प्रवर्तन अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 03.03.2017 को शिकायत की जांच हेतु मकान नं. 1680, नानकराम की हवेली, ठठेरों का रास्ता, चौडा रास्ता, जयपुर पर दौराने जांच अप्रार्थी श्री श्याम बाबू से 2 घरेलु गैस सिलेण्डर आईओसी मय एलपीजी 18 कि.ग्रा. जब्त किये गये। घरेलू सिलेण्डर को ऑक्सीजन गैस सिलेण्डर से जरिये पाईप लगे हुये पाया गया। अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से घरेलु गैस सिलेण्डर का वाणिज्यिक दुरूपयोग किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थी दिनांक 09.05.2017 को उपस्थित हुआ। दिनांक 10.03.2022 को अप्रार्थी ने जवाब पेश किया जिसमें जब्तशुदा दोनों सिलेण्डरों से अप्रार्थी का कोई सरोकार नहीं है एवं उक्त सिलेण्डरों को जब्त करने की इस्तदुआ की गई प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र को ही लिखित बहस मानने का प्रार्थना पत्र पेश किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 15.09.2022 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 03.03.2017 को मौके पर घरेलु गैस सिलेण्डर ऑक्सीजन गैस सिलेण्डर से जरिये पाईप लगे हुए पाये गये। अप्रार्थी द्वारा घरेलु गैस सिलेण्डर का अवैध रूप से वाणिज्यिक दुरूपयोग किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में भी जब्तशुदा दोनों सिलेण्डरों से अप्रार्थी का कोई सरोकार नहीं होना एवं उक्त सिलेण्डरों को जब्त करने का अंकन किया गया है। अप्रार्थी द्वारा घरेलू सिलेण्डरों का अवैध वाणिज्यिक दुरूपयोग करना द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा जब्त 2 घरेलु गैस सिलेण्डर आईओसी मय एलपीजी 18 कि.ग्रा को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर, शहर को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।